न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/41/2019	22–08–2019	24–12–2019

1– मदनसिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर।
2– राजकॅवर पुत्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर।
3– सुशीला पुत्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी पोप सिंह की तन चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर।
4– शीला पुत्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्राणा तहसील बानसूर जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– पूरण पुत्र दौलाराम जाति मीणा निवासी हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर।
2– रणजीत पुत्र दौलाराम जाति मीणा निवासी हरसौरा, तहसील बानसूर जिला अलवर।
3– गन्दी पुत्री दौलाराम स्त्री रामचन्द जाति मीणा निवासी रामपुरा (छापडा), तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4– कमला पुत्री दौलाराम स्त्री रामवतार जाति मीणा निवासी बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर।
5– लाली पुत्री दौलाराम स्त्री रतन लाल जाति मीणा निवासी रामपुरा (छापडा), तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6– ग्यारसी बेवा दौलाराम जाति मीणा निवासी हरसौरा, तहसील बानसूर जिला अलवर।
7– सहायक कलक्टर बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री भूपेन्द्रसिंह शेखावत –वकील प्रार्थी
02. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव –वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलक्टर बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी श्रीमति रिसाल कंवर बनाम दौलाराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की माता श्रीमति रिसाल कंवर ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर, अलवर के यहॉ एक दावा इश्तकरारहक व हुकमईम्तनाई दवामी बअनुवान श्रीमति रिसाल कंवर बनाम दौलाराम वगै0 प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें दिनांक 08.01.2019 को बहस हो चुकी है और उसके बाद पत्रावली लगातार वास्ते आदेश नियत चल रही है। उक्त प्रकरण मे दिनांक 22.08.2019 की पेशी वास्ते आदेश नियत है। अप्रार्थीगण जाति से मीणा हैं तथा पीठासीन अधिकारी महोदय श्री राकेश मीना भी जाति से मीणा हैं तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने गांव के कई मौजिज व्यक्तियों को एलानिया कहा है कि साहब हमारे रिश्तेदार के गांव हमीरपुर तहसील बानसूर में ही ब्याहे हैं और उनका ससुराल है और हमारी जान पहचान व रिश्तेदारी है और हमारी साहब से बातचीत हो गई है, मुकदमें का फैसला हमारे पक्ष में होगा और दावा खारिज होगा। इसलिये मिन प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत है और अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी आते–जाते देखा है तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पीठासीन अधिकारी महोदय के व्यवहार से भी स्पष्ट जाहिर होता है कि वो उक्त मुकदमें मे निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगें। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बउनवान श्रीमति रिसाल कंवर बनाम दौलाराम वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर से किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश फरमाये जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह स्वीकार नहीं है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति के सामने यह कहा गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तेदार के गांव में ब्याहे हैं तथा हमारी उनकी जान पहचान है तथा हमारी साहब से बोलचाल हो गई है तथा मुकदमें को फैसला हमारे पक्ष में ही होगा तथा दावा खारिज होगा। किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के मुकदमें के पक्षकार की जाति के होने का यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके बीच में आपस में रिश्तेदारी या जान पहचान हो। यह स्वीकार नहीं है कि पीठासीन अधिकारी महोदय से कोई मिलीभगत है तथा अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी महोदय के चैम्बर में कभी गए हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा समस्त कार्यवाही विधि सम्मत तरीके से की जा रही हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्षकारान् के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं सहायक कलक्टर बानसूर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। सहायक कलक्टर बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण में वाद पुनः बहस में नियत किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित समस्त तथ्य झूठे, मनमाने व मनगढंत तथा गलत व निराधार अंकित किये है। प्रकरण काफी पुराना है जो वर्तमान में पुनः बहस में नियत किया हुआ हैं। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। पीठासीन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं इसलिए अपनी समस्याऐं लेकर पब्लिक आती रहती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय सिद्धान्त पर कार्य किया जाता है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत, मनगढन्त एवं निराधार है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण/अप्रार्थी से मिला हुआ है। अगर उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण श्रीमति रिसाल कॅवर बनाम दौलाराम वगै0 काफी पुराना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है।

अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर में विचाराधीन प्रकरण उनवान श्रीमति रिसाल कॅवर बनाम दौलाराम वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। सहायक कलक्टर बानसूर के उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को भिजवाना सुनिश्चित करें। सहायक कलक्टर अलवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)